



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2006/अश्विन 4, 1928

No. 461]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2006/ASVINA 4, 1928

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 596(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (4) और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 है।

(2) ये तारीख 2 अक्टूबर, 2006 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में जहाँ तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(छ) "उपअध्यक्ष" से बोर्ड का उपअध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में ब्रह्मण्ड: उनके लिए हैं।

3. सदस्यों की पदावधि -

जैसा इसमें इसके पश्चात् अन्यथा अवधि है उसके सिवाय,-

(i) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ii) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह संसद् के उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निर्वाचित किया गया था ; और

(iii) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड) और खंड (ड) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस प्रकर्म या हित का, जिससे वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था प्रतिनिधित्व नहीं करता ;

परंतु वह सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

4. त्यागपत्र -

(i) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य का पद उस तारीख से, जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र के प्रकाशन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा ।

(ii) किसी सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने के विषय में बोर्ड को, उसके आगामी अधिवेशन में रिपोर्ट देगा ।

5. पते का बदला जाना -

यदि कोई सदस्य अपना पता बदल देता है तो वह बोर्ड के सदस्य-सचिव को अपना नया पता अधिसूचित करेगा, जो तदुपरि शासकीय अभिलेखों में उसका नया पता प्रविष्ट करेगा ;

परंतु यदि कोई सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है तो सभी प्रयोजनों के लिए शासकीय अभिलेखों का पता ही सदस्य का सही पता समझा जाएगा ।

6. सदस्यों में से रिक्तियों को भरने की रीति -

(i) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक बार जब बोर्ड गठित किया जाता है, धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ठ), खंड (ड) और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों में से सदस्य नियुक्त करने के पूर्व, ऐसा मापदंड तैयार कर सकती और ऐसी परामर्श कर सकती, जो वह ठीक समझे ।

(ii) जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या यह समझा जाता है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे पद से हटा दिया गया है अथवा कार्य करने में असमर्थ हो गया है तो केन्द्रीय सरकार, उस रिक्ति को भरने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी :

परंतु जहां किसी सदस्यता में, जो निवृत्त होने वाले सदस्य द्वारा धारित थी, धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन संसद में उसकी सदस्यता के कारण रिक्ति होती है वहां उस रिक्त स्थान पर अगले पदधारी की नियुक्ति संसद के उस सदन द्वारा नए निर्वाचन के आधार पर होगी जिसका निवृत्त होने वाला व्यक्ति सदस्य था ।

7. बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया -

(i) कार्यसूची,-

(क) बोर्ड के किसी अधिवेशन में विचार की जाने वाली कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसे सदस्य सचिव द्वारा सामान्यतया अधिवेशन के लिए अनुमोदित दिन के चौदह दिन पूर्व जारी किया जाएगा और उसे बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजा जाएगा या डाक में डाला जाएगा ।

(ख) बोर्ड अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के बाहर के किसी मद पर विचार कर सकेगा ।

(ii) बोर्ड प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार दिल्ली में अधिवेशन करेगा :

परंतु यदि बोर्ड का अधिवेशन उसके मुख्यालय दिल्ली के बाहर करना आवश्यक और समीचीन समझा जाता है तो ऐसा अधिवेशन करने के कारणों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से लेखबद्ध किया जाएगा ।

(iii) अध्यक्ष, आत्यधिकता की दशा में किसी भी समय, सदस्यों को चर्चा की विषय वस्तु और आत्यधिकता के कारणों की बाबत पहले ही से सूचित करने के पश्चात्, बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगा ।

(iv) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(v) बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए बारह सदस्य होंगे ।

(vi) केन्द्रीय सरकार, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशनों में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी, यदि -

(क) वह अध्यक्ष को लिखित में सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के दो क्रमवर्ती अधिवेशनों और किसी भी दशा में तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य का कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतियोगिता के संवर्धन, विकास और वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए अहितकर है या उसके अहितकर होने की संभावना है।

8. बोर्ड के सदस्य सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य --

सदस्य सचिव --

(i) बोर्ड के कार्यालय के प्रधान के रूप में कार्य करेगा ;

(ii) बोर्ड और उसके कार्यालय के कामकाज के लिए अपेक्षित आकस्मिक व्ययों, प्रदायों, सेवाओं और वस्तुओं, बोर्ड को सौंपे गए कार्य के निष्पादन और अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने पर होने वाली आवश्यक व्यय को इस प्रयोजन के लिए वार्षिक बजट में बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए मंजूर करेगा ;

(iii) बोर्ड की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा ऐसे प्रारूप में अनुरक्षित करेगा या अनुरक्षित करवाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की परामर्श से अधिसूचित किया जाए ;

(iv) बोर्ड से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा ;

(v) सदस्यों के नाम और उनके पत्तों का अभिलेख रखेगा या रखवाएगा ;

(vi) बोर्ड के अधिवेशनों की व्यवस्था करेगा ; और

(vii) अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्त जारी करेगा ।

[फा. सं. 1(3)/2006-एमएमएसई पीओएल]

अन्वय सरकार, अणु सचिव

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2006

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 and Section 6, read with clauses (a) and (b) of Sub-section (2) of Section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the 2nd day of October, 2006.

2. Definitions -

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) "Advisory Committee" means the committee constituted by the Central Government under sub-section (2) of section 7;

(c) "Board" means the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises established under sub-section (1) of section 3;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(e) "member" means a member of the Board;

(f) "section" means a section of the Act;

(g) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Board.

30335I/06-2

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Term of office of members.-

Save as otherwise hereinafter provided,-

- (i) a member, other than an *ex officio* member, shall hold office for a period not exceeding two years from the date of his appointment;
- (ii) a member elected under clause (d) of sub-section (3) of section 3 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected; and
- (iii) a member appointed under clauses (k), (l), (m) and (n) of sub-section (3) of section 3 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category or interest from which he was so appointed:

Provided that a member shall be eligible for re-appointment.

4. Resignation.-

- (i) The office of a member, other than an *ex officio* member, shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.
- (ii) The power to accept the resignation of a member shall vest in the Chairperson who, on accepting the resignation, shall report to the Board at its next meeting.

5. Change of Address.- If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records.

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

6. Manner of filling vacancies among members.-

- (i) The Central Government may evolve such criteria and hold such consultations as it may think fit, before appointing members from among the representatives specified in clauses (l), (m) and (n) of sub-section (3) of section 3, each time the Board is constituted.

- (ii) When a member dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from office or becomes incapable of acting, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill that vacancy.

Provided that where the vacancy occurs in a membership which was held by an outgoing member by virtue of his membership in the Parliament under clause (d) of sub-section (3) of section 3, the appointment of the next incumbent of that vacancy shall be on the basis of a fresh election by that House of Parliament to which the outgoing member belonged.

7. Procedure to be followed in the discharge of their function by the members of the Board.-

- (i) Agenda.-
- (a) The agenda to be considered at a meeting of the Board shall be approved by the Chairperson and shall ordinarily be issued by the Member-Secretary fourteen days before the approved day of the meeting and shall be left at, or posted to the address of every member of the Board.
- (b) The Board may take up any item outside the agenda with the permission of the Chairperson.

- (ii) The Board shall meet at least once in every three months at Delhi.

Provided that if it is deemed necessary and expedient to hold a meeting of the Board outside its headquarters at Delhi, the reasons for holding such meeting shall be recorded in writing with prior approval of the Chairperson.

- (iii) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of urgency, after informing the members in advance about the subject matter of discussion and the reasons of urgency.
- (iv) The Chairperson or, in his absence, the Vice- Chairperson, shall preside over the meetings of the Board.
- (v) The quorum for any meeting of the Board shall be twelve.
- (vi) The Central Government may debar any member, other than ex officio members, from taking part in the meetings of the Board if-
- (a) he absents himself from two consecutive meetings of the Board without written information to and consent of the Chairperson and, in any case, from three consecutive meetings, or

- (b) in the view of the Central Government, the act of a member is or is likely to be detrimental to the policies and programmes of the Government for promotion, development and enhancing competitiveness of micro, small and medium enterprises.

8. Powers and functions of Member-Secretary of the Board.-

The Member-Secretary shall -

- (i) act as the Head of the office of the Board;
- (ii) sanction necessary expenditure on contingencies, supplies, services and articles required for the working of the Board and its office, execution of the functions assigned to the Board and furtherance of the objects of the Act, subject to provisions being made in the annual budget for this purpose;
- (iii) maintain or cause to be maintained an account of the receipts and expenditures of the Board in such form as may be notified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India;
- (iv) assist the Chairperson in all administrative matters relating to the Board;
- (v) keep or cause to be kept a record of names of members and their addresses;
- (vi) make arrangements for the meetings of the Board; and
- (vii) issue minutes of the meetings of the Board, as approved by the Chairperson.

[F. No. 1(3)/2006-MSME POL]
JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.